न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान

प्रकरण संख्या 09/25 दायरा दिनांक 24.06.2025

पीठासीन अधिकारी – श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

मांगीलाल पुत्र मरिया जाति जाटव निवासी मुंगावली तहसील शाहाबाद जिला–बांरा राज0 प्रार्थी

बनाम

स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार शाहाबाद जिला बांरा राजस्थान अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट

आदेश दिनांक 15.09.2025

उपस्थित
प्रार्थी की ओर से – श्री अरविन्द शर्मा एडवोकेट
अप्रार्थी की ओर से – एकपक्षीय

प्रार्थनापत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम बडारा पटवार हल्का राजपुर में
ख0नं0 41/11 रकबा 6.00 बीघा, ख0नं0 42/7 रकबा 5.00 बीघा, ख0नं0 42/8
रकबा 5.00 बीघा, ख0नं0 43/18 रकबा 5.00 बीघा, ख0नं0 43/20 रकबा 6.00 बीघा,
ख0नं0 43/22 रकबा 5.00 बीघा किता 6 कुल 32.00 बीघा कृषि भूमि प्रार्थी के
स्वामित्व की स्थित है। प्रार्थी बहेसियत स्वामी काबिज काश्त है। प्रार्थी की उक्त भूमि
का सीमा चिन्ह आदि नहीं होने से आसपास के काश्तकारों से विवाद रहने की संभावना
रहती है। प्रार्थी अपने खाते की उक्त भूमि का सीमांकन कर स्थाई सीमाचिन्ह
पत्थरगढी करवाना चाहता है, इस बावत यह प्रार्थनापत्र पेश है। अतः प्रार्थनापत्र पेश
कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम बडारा पटवार हल्का राजपुर
तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0 ख0नं0 41/11 रकबा 6.00 बीघा, ख0नं0 42/7
रकबा 5.00 बीघा, ख0नं0 42/8 रकबा 5.00 बीघा, ख0नं0 43/18 रकबा 5.00 बीघा,
ख0नं0 43/20 रकबा 6.00 बीघा, ख0नं0 43/22 रकबा 5.00 बीघा किता 6 कुल 32.
00 बीघा की पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।
प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई। अप्रार्थी के अनुपस्थित
रहने से प्रार्थी सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी
संवत 2072–75 अनुसार विवादित भूमि ख0नं0 41/11 रकबा 6.00 बीघा, ख0नं0
42/7 रकबा 5.00 बीघा, ख0नं0 42/8 रकबा 5.00 बीघा, ख0नं0 43/18 रकबा 5.00
बीघा, ख0नं0 43/20 रकबा 6.00 बीघा, ख0नं0 43/22 रकबा 5.00 बीघा किता 6
कुल 32.00 बीघा ... तहसील शाहाबाद प्रार्थी के खातेदारी की है, जिस पर
प्रार्थी का कब्जा काश्त प्रस्तुत ... गिरदावरी से प्र... है। इस आधार पर
पत्थरगढी के आदेश दिया जाना उचित पाया जाता है।
अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहाबाद
को आदेशित किया जाता है कि वे मौके पर विवादित आराजी ख0नं0 41/11 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.09.20 18:11:50 IST
Reason: SelfAttested

15.09.2025
उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

6.00 बीघा, ख0नं0 42/7 रकबा 5.00 बीघा, ख0नं0 42/8 रकबा 5.00 बीघा, ख0नं0 43/18 रकबा 5.00 बीघा, ख0नं0 43/20 रकबा 6.00 बीघा, ख0नं0 43/22 रकबा 5.00 बीघा किता 6 कुल 32.00 बीघा ग्राम बडारा तहसील शाहाबाद का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करावें, परन्तु विवादित आराजी पर कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी नियमानुसार प्रथक से कार्यवाही करें। पालनार्थ तहसीलदार शाहाबाद को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 15.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैशलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

15/09/2025

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.09.20 18:11:50 IST
Reason: SelfAttested